परेशानी | मेंटेनेंस के दावों पर उठ रहे सवाल

बारिश शुरू होते ही सताने लगी ट्रिपिंग

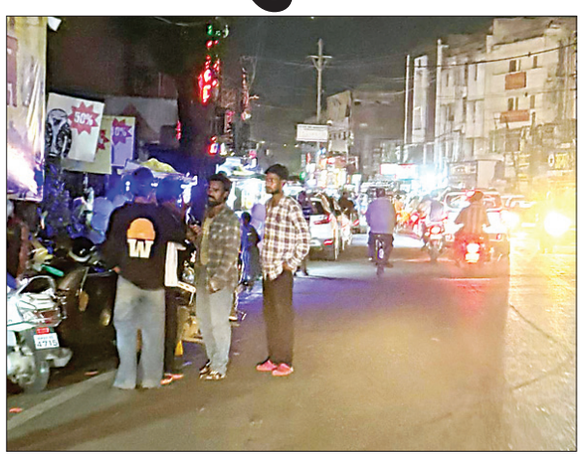

जबलपुर, नवभारत। मानसून की दस्तक के साथ ही शहर में बिजली व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शुरू शुरू की ही तेज बारिश में रसल चौक, चौथा पुल, नेपियर टाउन, राइट टाउन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बार-बार बिजली ट्रिप होने और लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। ऐसे में बिजली कंपनी द्वारा गर्मी के मौसम में किए गए व्यापक मेंटेनेंस के दावे अब कटघरे में दिखाई दे रहे हैं।बिजली कंपनी ने मानसून से पहले ट्रांसफार्मरों, 33 केवी और 11 केवी लाइनों के रखरखाव, पेड़ों की कटाई-छंटाई और उपकरणों की मरम्मत का दावा किया था, ताकि बारिश के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, कई इलाकों में बिजली बार-बार गुल होने और ट्रिपिंग की समस्या ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी।

इन्वर्टर पर होना पड़ता है निर्भर

रिहायशी क्षेत्रों के अलावा कई व्यावसायिक इलाकों में भी कुछ मिनटों के अंतराल पर बिजली आने-जाने की स्थिति बनी रहती है। इससे घरों में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरणों पर भी खतरा बढ़ गया है। लगातार ट्रिपिंग के कारण लोगों को इन्वर्टर और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर होना पड़ रहा है। पॉश इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि यदि मेंटेनेंस का कार्य तय मानकों के अनुरूप किया गया होता तो पहली बारिश में ही बिजली व्यवस्था इस तरह नहीं लड़खड़ाती। उनका आरोप है कि हर वर्ष मानसून से पहले करोड़ों रुपये के रखरखाव का दावा किया जाता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली लाइनों पर पेड़ों की शाखाएं, जर्जर उपकरण, ओवरलोड फीडर और तकनीकी खामियां ट्रिपिंग की प्रमुख वजह बनती हैं। यदि इन समस्याओं का समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया जाए तो पूरे मानसून में उपभोक्ताओं को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

किस प्रकार किया गया मेंटेनेंस?

शहरवासियों ने बिजली कंपनी से मांग की है कि ट्रिपिंग की समस्या वाले क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराया जाए, खराब उपकरणों को बदला जाए और फॉल्ट सुधारने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि बारिश के पूरे सीजन में लोगों को बार-बार बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मानसून पूर्व मेंटेनेंस पर इतना जोर दिया गया था, तो पहली ही बारिश में बिजली व्यवस्था क्यों चरमरा गई? यह सवाल न केवल उपभोक्ताओं के मन में है, बल्कि बिजली कंपनी के रखरखाव कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहा है।

महिला टीचर से दुष्कर्म करने वाले छात्र को दस साल की सजा

जबलपुर। शिक्षा का रिश्ता विश्वास पर टिका होता हैए लेकिन जब वही विश्वास अपराध में बदल जाए तो कानून भी कठोर संदेश देता है। ट्यूशन पढने आने वाले छात्र द्वारा महिला शिक्षिका से दुष्कर्म किए जाने के छह वर्ष पुराने मामले में जबलपुर जिला सत्र न्यायालय ने आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है तथा पीड़िता को मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी जबलपुर निवासी मोहम्मद हामिद अंसारी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार गोहलपुर क्षेत्र की एक विधवा महिला बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ सिलाई कर अपने तीन बच्चों का पालन-पोषण करती थी। इसी दौरान मोहम्मद हामिद अंसारी उसके यहां ट्यूशन पढने आता था। परिचय और विश्वास का लाभ उठाकर उसने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

नशे में पहुंचे 7 युवकों ने प्रहरियों को धमकाया

पाटन उपजेल में हंगामा : बिना आधार कार्ड और तय प्रक्रिया के कैदी से मिलने का बना रहे थे दबाव

नवभारत, जबलपुर । उप जेल पाटन में नियमों को ताक पर रखकर जबरन कैदी से मिलने की जिद पर अड़े सात युवकों द्वारा जेल परिसर में जमकर उत्पात मचाया। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने न सिर्फ जेल नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि ड्यूटी पर तैनात महिला प्रहरी सहित अन्य स्टाफ के अभद्रता करते हुए शासकीय कार्य में गंभीर बाधा पहुंचाई। आरोपियों ने जेल प्रहरियों को जान से मारने की धमकी भी दी। पाटन पुलिस ने जेल प्रहरी की शिकायत पर सातों नामजद आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उप जेल पाटन में प्रहरी के पद पर पदस्थ सुनील पन्द्रो (37) डियूटी पर तैनात थे। इसी दौरान बेलखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम सुंदरादेही निवासी बंदी दुर्गेश पिता पंचम मेहरा से मुलाकात करने के लिए उसके सात परिचित वहाँ पहुंचे। मुलाकातियों के हाव-भाव से वे अत्यधिक शराब के नशे में प्रतीत हो रहे थे। जेल नियमों के तहत जब प्रहरी सुनील ने उनसे पहचान पत्र आधार कार्ड की मांग

की, तो युवकों ने आधार कार्ड देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वे मुलाकात की वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जबरन जेल परिसर के भीतर दाखिल हो गए और बंदी दुर्गेश से मिलाने की जिद पर अड़ गए। जेल परिसर के भीतर हंगामा बढ़ते देख मौके पर तैनात महिला प्रहरी रोशनी उपाध्याय ने मोर्चा संभाला। उन्होंने युवकों को संयम से रहने और बिना कानूनी प्रक्रिया के कैदी से न मिलने की बात कही। सुरक्षाकर्मी के समझाने पर युवक और अधिक आक्रोशित हो गए। वे जेल स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए।इसी गहमागहमी के बीच जेल स्टाफ के सदस्य नंदकिशोर भी वहां पहुंच गए। युवकों ने नंदकिशोर की वर्दी पर लगी नेम प्लेट को गौर से पढ़ा और उसका नाम लेकर व अन्य सहकर्मियों को निशाना बनाते हुए विवाद शुरू कर दिया। जेल परिसर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए आरोपियों ने पूरे स्टाफ को जान से मारने की सीधी धमकी दी और मौके से रफूचक्कर हो गए।

इनके खिलाफ मामला दर्ज

बाद में पीड़ित प्रहरी सुनील पन्द्रो को जेल में बंद कैदी दुर्गेश मेहरा ने ही हंगामा करने वाले अपने सातों परिचितों के नाम बताए। पाटन पुलिस ने जेल प्रहरी सुनील पन्द्रो की रिपोर्ट पर आरोपी रविन्द्र सिंह लोधी, राधे सिंह, जितेन्द्र, सुनील, सुरेन्द्र ठाकुर, अन्जू और भगवान सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जबलपुर रेल मंडल ने तीन माह में बनाए 450 रियायत कार्ड

जबलपुर, नवभारत। शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और यात्रा को आसान बनाने के लिए जबलपुर रेल मंडल लगातार प्रयासरत है। मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा के मार्गदर्शन में तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा के नेतृत्व में, इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य कुल 450 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए गए हैं। केवल जून माह में ही मंडल द्वारा 147 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड बनाए गए हैं। इन रियायत कार्डों के माध्यम से दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट के साथ-साथ, नियमानुसार परिचारक के साथ यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जबलपुर रेल मंडल का यह प्रयास सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों का लाभ अधिक से अधिक योग्य यात्रियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है।

ये दस्तावेज़ है जरूरी

बता दें कि रियायत कार्ड बनवाने इन दस्तावेज़ों को वेबसाइट पर अपलोड करना होता है इसमें जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, रियायत प्रमाणपत्र न्यू फॉरमैट (एनेक्सचर 1, एनेक्सचर 2 और सभी दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात कार्ड जारी किया जाता है, जिसकी सूचना आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिल जाती है। आवेदन के समय यात्रियों को सही एवं पूर्ण जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी चाहिए। जारी किए गए रियायत कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ़्टवेयर में अपडेट कर दी जाती है, जिससे टिकट बुकिंग के समय केवल रियायत कार्ड की फोटोकॉपी दिखाकर किराए में छूट का लाभ लिया जा सकता है। यह सुविधा ई-टिकट बुकिंग पर भी उपलब्ध है।

जंगल में मिली चौकीदार की लाश

जबलपुर। बरगी थाना अंतर्गत सुखसागर अस्पताल के सामने जंगल में चौकीदार की फांसी के फंदे पर लाश लटकी मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मनोज कुमार चड़ार 36 वर्ष निवासी ग्राम घाट पिपरिया ने सूचना दी कि वह चाय का टपरा सुखसागर अस्पताल के सामने चलाता है, दोपहर में जानकारी मिली कि सामने के जंगल में पेड़ में एक व्यक्ति फांसी लगाकर लटका है, वह जाकर देखा तो उसकी पहचान का जावेन्द सिंह के रूप में हुई। मृतक गुलबी प्लाट में चौकीदारी करता था जो मृत अवस्था में फांसी पर लटका था। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।

19 वेंडरों और सेवा प्रदाताओं को दिया नोटिस

अधिक राशि पर स्टाम्प बेचे, कम मुद्रांक शुल्क पर दस्तावेज तैयार किए

जबलपुर। अधिक राशि पर स्टाम्प बेचे जाने और गलत मद का चयन कर कम मुद्रांक शुल्क पर दस्तावेज तैयार कर शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाने वाले जिले के 19 स्टाम्प वेंडरों एवं सेवा प्रदाताओं को जिले के कलेक्टर ऑफ स्टामप्स द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। जिले में कार्यरत कई स्टाम्प वेंडरों एवं सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध अधिक राशि में स्टाम्प बेचे जाने एवं गलत मद का चयन कर कम मुद्राँक शुल्क पर दस्तावेज तैयार करने की आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर वरिष्ठ जिला पंजीयक द्वारा निरीक्षण टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने सिहोरा, गोसलपुर और कृषि उपज मंडी, विजय नगर जबलपुर स्थित हाट बाजार में औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्टाम्प वेंडर न केवल स्टाम्प निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेच रहे थे, बल्कि विभिन्न दस्तावेजों के लिए भी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जांच में पाया गया कि शपथ-पत्र, जिसके लिए विधि अनुसार 200 रुपये का स्टाम्प अनिवार्य है, उसे कुछ वेंडरों द्वारा मात्र 50 रूपये या 100 रुपये के स्टाम्प पर ही बनाया जा रहा था। इसी प्रकार, अचल संपत्ति के अनुबंध-पत्र, किरायानामा, सहमति-पत्र और कब्जा सहित अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी गलत हेड का चयन कर केवल 1,000 रुपये या उससे कम के स्टाम्प पर तैयार किया जा रहा था। निरीक्षण टीमों ने संबंधित वेंडरों के विक्रय रजिस्टरों की जांच की और उनकी प्रतियां प्राप्त कर साक्ष्य एकत्रित किए। इस अनियमितता के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत निर्मित मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम 1942 के नियम 27 के अंतर्गत संबंधित स्टाम्प वेंडरों और सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स ने स्पष्ट किया है कि जवाब नियत अवधि में प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत इन वेंडरों की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को निलंबित या रद्द करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन्हें नोटिस जारी

कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस द्वारा जिन वेंडरों और सेवा प्रदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है, उनमें जगदीश प्रसाद पाठक, ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, सुनील खरे, संजय कुमार गुप्ता, गणेश प्रसाद एवं नीतू साहू सिहोरा, कविता तिवारी गोसलपुर, मनीष जैन, पूर्णेश जैन, ओ पी मिश्रा एवं उभी मिश्रा हाट बाजार विजय नगर जबलपुर, प्राची शर्मा रांझी, योगिता चावला सिविल लाईन, किरण प्यासी, शबा आफरीन आधारताल, सुशील पाण्डेय एवं विनय कुमार पाण्डेय पाटन, शिवांक तिवारी पोलीपाथर, एजाज अंसारी नई बस्ती गोहलपुर शामिल हैं।

एक नजर में

अवैध कॉलोनी काट बेच डाले 151 प्लॉट बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। पाटन में बिल्डर ने अवैध रूप से बिना किसी अनुमति के कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रेरा और डायवर्शन की अनुमतियों को ताक पर रखकर 151 से अधिक भूखंड (प्लॉट) बेच डाले। इस फर्जीवाड़े से जहां एक तरफ सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की चपत लगी है, वहीं दूसरी तरफ खरीदारों की गाढ़ी कमाई भी दांव पर लग गई है। मामले में पुलिस ने कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नौदरा ब्रिज सेन्ट्रल प्लाजा निवासी अक्षय सतीश वैश ने पाटन तहसील के मौजा तिमरी में स्थित खसरा नंबर 54/2, 56/1, 56/2, और 57/3/2 की करीब 1.5 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनाइजर का जाल बिछाया था। बिल्डर ने न तो अनिवार्य कॉलोनाइजर पंजीकरण प्रमाणपत्र लिया और न ही शासन को देय अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क जमा किया। इस कृत्य से शासन को भारी वित्तीय हानि हुई है। अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉटो को बेच डाला। अब प्लॉट खरीदने वाले खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।

बिना ले आउट-रेरा के खरीद-फरोख्त- कॉलोनाइजर ने बिना किसी वैध ले-आउट अनुमोदन और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के इस पूरी जमीन को छोटे-छोटे 151 टुकड़ों (प्लॉट) में विभाजित किया और अवैध रूप से इनका क्रय-विक्रय कर दिया। मामले में लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी अक्षय सतीश वैश के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

नशे में चूर बारातियों का हंगामा, पथराव मची भगदड़, तीन घायल

नवभारत, जबलपुर। कोतवाली थाना अंतर्गत शिवनगर स्थित कमल बरात घर में शादी समारोह के दौरान जमकर खून-खराबा और हंगामा हो गया। शराब के नशे में धुत तीन बरातियों ने विदाई से ठीक पहले ऐसा उत्पात मचाया कि शादी वाले घर में चीख-पुकार, भगदड़ मच गई। जब वधू पक्ष के लोगों ने हंगामा कर रहे युवकों को बरात घर से बाहर निकाला, तो आरोपियों ने पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में दुल्हन के पिता समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, मढ़ोताल आरटीओ के सामने शारदा नगर कॉलोनी निवासी ठेकेदार परमलाल उर्फ छुट्टन अहिरवार की बेटी की शादी थी। शादी का मुख्य कार्यक्रम शिवनगर स्थित कमल बरात घर में चल रहा था। बरात चौकी ताल इलाके से आई थी। जयमाला और अन्य रस्में हंसी-खुशी संपन्न हो चुकी थीं, लेकिन इसी बीच तीन हुड़दंगियों ने रंग में भंग डाल दिया। दुल्हन के पिता परमलाल ने बताया कि बरात पक्ष की तरफ से आए तीन लड़के विन्दी चौधरी, कमल चौधरी और पारस चौधरी शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे। वे बरात घर के अंदर मेहमानों के बीच खड़े होकर हंगामा कर उत्पात मचा रहे थे। जब परमलाल, उनके बेटे साहिल अहिरवार और बड़े भाई राजेश कुमार अहिरवार ने मना किया तो तीनों आरोपी और ज्यादा भड़क गए। विवाद बढ़ता देख वधू पक्ष के लोगों ने मिलकर तीनों उपद्रवियों को पकड़कर बरात घर के गेट से बाहर कर दिया। बाहर निकलते ही तीनों आरोपी आगबबूला हो गए और उन्होंने सड़क किनारे पड़े भारी पत्थरों को उठाकर परमलाल के परिवार पर हमला बोल दिया। पथराव में दुल्हन का भाई साहिल अहिरवार लहूलुहान हो गया पिता परमलाल और ताऊ राजेश कुमार अहिरवार को भी चोटें आई। इसके बाद आरोपी भाग गए।

शादी के फेरे लेते ही बंजारी माता मंदिर से लापता हुई दुल्हन

नवभारत, जबलपुर। गोसलपुर थाना अंतर्गत बुढ़ागर स्थित प्रसिद्ध बंजारी माता मंदिर परिसर से एक नवविवाहित दुल्हन के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई।

सात जन्मों का साथ निभाने का वादा कर विदा हुई दुल्हन शादी के ठीक अगले ही दिन पति को मंदिर में छोड़कर अचानक गायब हो गई। घटना 24 जून की सुबह की है, जहां ब्यूटी पार्लर जाने का बहाना बनाकर निकली दुल्हन का 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पीड़ित पति की शिकायत पर गोसलपुर पुलिस ने गुमशुदगी का

मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बरेला थाना अंतर्गत रिछाई शारदा मंदिर के पास निवासी पीड़ित पति गौतम यादव ने बताया कि वह पेशे से हारमोनियम बनाने का कार्य करता है। बीते 21 जून 2026 को उसकी बारात ग्राम माल्हा आई थी, जहां सामाजिक रीति-रिवाज और पूरे विधि-विधान के साथ उसका विवाह सुहानी यादव से संपन्न हुआ था। विवाह के तुरंत बाद, 23 जून को दोनों सुहानी की मौसी नेहा की शादी में सम्मिलित होने के लिए गोसलपुर आए हुए थे।

पार्लर जा रही हूं... कहकर गई और फिर नहीं लौटी

24 जून की सुबह करीब 8 बजे गौतम अपनी पत्नी सुहानी के साथ आशीर्वाद लेने और पूजा-अर्चना करने के लिए बुढ़ागर स्थित बंजारी माता मंदिर पहुंचा था। मंदिर परिसर में ही सुहानी ने अपने पति से कहा कि वह पास के ही एक ब्यूटी पार्लर जा रही है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पति गौतम मंदिर के पास ही उसका इंतजार करता रहा, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी जब सुहानी वापस नहीं लौटी, तो परिजनों के हाथ-पांव फूल गए। दुल्हन के अचानक गायब होने से शादी की खुशियां पल भर में चिंता में बदल गईं। सुहानी की हर संभावित जगह तलाश की। जब कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला, तब थक-हारकर मामले की लिखित शिकायत गोसलपुर थाने में दर्ज कराई गई। 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस और परिजनों के हाथ अब भी खाली हैं।

ट्रेनिंग में जबलपुर आए बालाघाट के अधिकारी को बदमाशों ने पीटा

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत राज्य ग्रामीण संस्थान जबलपुर कार्यालय के बाहर ट्रेनिंग में बालाघाट से आए अधिकारी को बदमाशों ने घेरकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक नरेन्द्र सिंह चंदेल 35 वर्ष निवासी हेल्थ क्लब कालोनी वारा सिवनी जिला बालाघाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह जिला कार्यक्रम प्रबंधक ग्राम पंचायत बालाघाट में पदस्थ है। वह ट्रेनिंग के लिए राज्य ग्रामीण संस्थान जबलपुर कार्यालय आया था शुक्रवार को ट्रेनिंग समाप्त होने से अपने साथी विकास रघुवंशी, रंजीत पटेल के साथ आफिस से निकल कर बाहर आये दोपहर लगभग 3-45 बजे बुलट मोटर सायकल से एक व्यक्ति आया और रंजीत पटेल को धक्का देते हुये स्वयं गाड़ी से गिर गया था, हम लोग आगे निकल गये थे कुछ देर बुलट गाड़ी वाला अपने 2 साथियों के साथ आकर हम लोगों का रास्ता रोककर हाथ मुक्कों से मारपीट कर सिर में चोट पहुँचा दी।

पुलिसकर्मियों को धमकाया, बोले- डायल 112 फूंक देंगे

नशे में धुत भाइयों का हाईवोल्टेज ड्रामा एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। शराब के नशे में धुत दो भाइयों ने नोडल पॉइंट पर तैनात डायल 112 के स्टाफ के साथ जमकर विवाद किया। आरोपियों ने न पुलिस कर्मियों के सार्थ अभद्रता कर दीं, बल्कि धमकाते हुए पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले करने की धमकी भी दे डाली। बेलखेड़ा पुलिस ने अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेलखेड़ा थाने में पदस्थ आरक्षक नितिन साहू की ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 9 बजे की शिफ्ट में डायल 112 पर लगाई गई थी। देर रात पुलिस की गाड़ी नोडल प्वाइंट मेरेगांव स्थित सरदार ढाबा के बाहर खड़ी हुई थी। इसी दौरान रात करीब 11:30 बजे इलाके के ही आदित्य राजपूत पिता राजबहादुर सिंह नशे की हालत में पुलिस वाहन के पास पहुंचे। आदित्य ने गाड़ी के पास आते ही आरक्षक नितिन साहू पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि, अभी मेरे टपरे के पास कौन सी 112 गाड़ी आई थी, जिसने मेरे भाई आजाद राजपूत को गाली दी और हाईवे की रेलिंग उखाड़ी। इस पर आरक्षक नितिन ने जवाब दिया कि उसकी ड्यूटी रात 9 बजे से शुरू हुई है और इस दौरान उसकी गाड़ी टपरे की तरफ नहीं गई। पुलिसकर्मी ने समझाने के लिए उसके छोटे भाई आजाद को मौके पर बुलाने को कहा ताकि गलतफहमी दूर हो सके।

हाथ में उठाया डंडा आरक्षक को मारने दौड़ा, बचाने पहुंचे पुलिस कर्मियों से की अभद्रता

कुछ ही देर में आदित्य का छोटा भाई आजाद राजपूत भी वहां पहुंच गया। वह भी बुरी तरह शराब के नशे में था और उसके बाएं गाल पर खरोंच के निशान थे। आते ही आजाद ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता शुरू कर दी। जब पुलिस ने कड़ाई से बात की तो तैश में आकर आजाद ने जमीन से एक भारी डंडा उठा लिया और आरक्षक नितिन को मारने दौड़ा। उसने चिल्लाते हुए धमकी दी, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी डायल 112 को यहीं जला दूंगा। हंगामे की आवाज सुनकर पास के सरदार ढाबे पर खाना खा रहे प्रधान आरक्षक कैलाश पटैल, आरक्षक अक्षय और आरक्षक अमित तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने बीच-बचाव करने आए पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता कर डाली।

प्रेम संबंध होने के कारण पास्को के अपराध में मिली जमानत

हाईकोर्ट ने कहा- ट्रायल में लग सकता है समय

जबलपुर। पास्को एक्ट के आरोप में गिरफ्तार युवको को हाईकोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए जमानत का लाभ प्रदान किया है। हाईकोर्ट जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़ित ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि दोनो के प्रेम संबंध थे। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रायल में समय लग सकता है।

आवेदक रवि कुशवाहा की तरफ से दायर किये गये जमानत आवेदन में कहा गया था कि उसके खिलाफ सागर जिले के बंडा थाने में पास्को एक्ट के तहत अपराधिक में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कथित पीड़ित ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि दोनो के बीच प्रेम संबंध थे। परिजन उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से करवाना चाहती थे। वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी,इसलिए वह आवेदक के साथ गयी थी। दोनों ष्षादी करने के बाद पति-पत्नी की तरफ रहने लगे थे।

सरकार की तरफ से बताया गया कि पीड़ित की उम्र 17 साल 9 माह है। आरोपी की डीएनएक रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया है कि दोनो के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों पक्षो के बीच प्रेम संबंध थे। पीड़िता के परिवार वाले उसकी शादी किसी और से कराना चाहते थे, जिससे वह शादी नहीं करना चाहती थी। दोनों पक्षों की उम्र और पीड़िता के बयानों तथा ट्रायल पूरा होने में समय को ध्यान में रखते हुए जमातन प्रदान की जाती है।

अव्यवस्था | फुटपाथ पर हुए कब्जे

हाऊबाग रोड पर हर शाम सजती है चौपाटी

जबलपुर, नवभारत। नगर के गोरखपुर से हाऊबाग रोड पर हर शाम अस्थायी चौपाटी सज जाती है। सड़क किनारे बड़ी संख्या में खान-पान के ठेले और दुकानें लगने से पूरे इलाके में चहल-पहल रहती है, लेकिन इसके साथ ही फुटपाथों पर बढ़ते कब्जों ने पैदल चलने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

जिस फुटपाथ का निर्माण लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए किया गया था, वह अब अधिकांश स्थानों पर अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ फुटपाथ पर ठेले, कुर्सियां, टेबल और अन्य सामान रखे जाने के कारण लोगों को

मजबूरन सड़क पर चलना पड़ रहा है। शाम के समय ग्राहकों की भीड़ और वाहनों का दबाव बढ़ने से यहां जाम जैसी स्थिति बन जाती है।

बुजुर्गों के लिए बनी आफ़त- बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद स्थिति में कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ है नागरिकों ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन और नगर निगम नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें तथा फुटपाथों को केवल पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रखें, तो यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी और दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा। लोगों ने हाऊबाग रोड पर स्थायी समाधान के लिए नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।